भारत सरकार
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3849
उत्तर देने की तारीख: 18.12.2024

सीखो और कमाओ योजना

3849. श्री उज्जवल रमण सिंह:

क्या **अल्पसंख्यक कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में अल्पसंख्यकों के कौशल विकास के लिए सीखो और कमाओ योजना (लर्न एण्ड अर्न) किन राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है;
(ख) उक्त योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण मॉड्यूल और चयन मानदंडों का ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या उक्त योजना केवल अल्पसंख्यक समुदायों के लड़कों/पुरुषों के लिए है और यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और
(घ) वर्ष 2023-24 के दौरान उत्तर प्रदेश में उक्त योजना के अंतर्गत प्रशिक्षित अल्पसंख्यक व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा कितने रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं?

उत्तर

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री
(श्री किरेन रिजिजू)

(क) से (घ): सीखो और कमाओ (SAK) योजना की शुरुआत 2014-15 में हुई थी, जिसका लक्ष्य अल्पसंख्यक युवाओं (14-45 वर्ष) के कौशल को उनकी योग्यता, मौजूदा आर्थिक रुझानों और बाजार की संभावनाओं के आधार पर विभिन्न आधुनिक/पारंपरिक कौशल में उन्नत करना था, जिससे उन्हें उपयुक्त रोजगार मिल सके या वे स्वरोजगार शुरू करने के लिए उपयुक्त रूप से कुशल बन सकें। सीखो और कमाओ एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना थी जिसका कार्यान्वयन पूरे भारत में किया गया था। इस योजना के तहत, कौशल प्रशिक्षण ने राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क (NSQF) को आधुनिक कौशल नौकरी भूमिकाओं से जोड़ा। अल्पसंख्यक लड़की/महिला उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम 33 प्रतिशत सीटें और अल्पसंख्यक समुदायों के विकलांग उम्मीदवारों के लिए 2.5 प्रतिशत सीटें आरक्षित की गईं। इसके अलावा, अंतर-समुदाय एकजुटता को बढ़ावा देने के लिए, गैर-अल्पसंख्यक समुदायों के बीपीएल परिवारों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 15 प्रतिशत तक सीटें आरक्षित की गईं। योजना के तहत अंतिम आबंटन 2020-21 में किया गया था। सीखो और कमाओ योजना को अब पीएम विकास योजना के तहत एक घटक के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है।

******